

संशोधित विज्ञापित

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(67)RSMSSB/अर्थना/पशु.पा./पशु.सहा./2018/1484

दिनांक : 02-05-2018

—:: संशोधित विज्ञापित ::—

पशुधन सहायक (Livestock Assistant) सीधी भर्ती परीक्षा-2018

बोर्ड के विज्ञापन संख्या 05/2018 दिनांक 14.03.2018 पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 (कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है) की अनुपालना में -

(क) बिन्दु संख्या : 4 के नीचे अंकित विशेष सूचना के बिन्दु संख्या 9 "भूतपूर्व सैनिकों हेतु" की अंतिम पंक्ति "उक्त नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व सेना से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।" को विलोपित किया जाता है। कार्मिक विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के नियम 6 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 में जोड़े गये नये नियम 6B के अन्तर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक भी इस नये नियम में वर्णित शर्त के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(ख) बिन्दु संख्या : 9 के क.सं. 2 में वर्णित प्रावधान के पश्चात् निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु संबंधी रियायत हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 के प्रावधान भी लागू होंगे।

पशुपालन विभाग के लिये पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

विज्ञापित की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



(डॉ. बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष